International Journal of Applied Research 2019; 5(12): 106-107

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(12): 106-107
www.allresearchjournal.com
Received: 19-10-2019
Accepted: 21-11-2019

डॉ. मनीषा शुक्ला
हिन्दी विभाग
सं.गा.स्मृ. शा. महा. सीधी,
मध्य प्रदेश, भारत

Correspondence Author:
डॉ. मनीषा शुक्ला
हिन्दी विभाग
सं.गा.स्मृ. शा. महा. सीधी,
मध्य प्रदेश, भारत

राजभाषा हिन्दी का संघर्ष और नेहरू जी भूमिका

डॉ. मनीषा शुक्ला

प्रस्तावना

हिन्दी भाषा देश की राज भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो कर आज आजादी के 72 वर्षो बाद भी शासकीय कार्यालयों में पूर्णतः उपयोग में नही लाई जाती है अर्थात वह अपने सम्पूर्ण/व्याहारिक अधिकारो से वंचित है। यह वेदना प्रत्येक हिन्दी प्रेमी के हृदय को आहत करती है और जब हमारा हृदय आहत होता है तो हम चोट पहुचने के कारण पर विचार नही करते बल्कि चोट पहुचाने के माध्यमों को भी दोषी सिद्ध करने का प्रयास करते है। इसी मनोविज्ञान के प्रभाव स्वारूप राजभाषा अधिनियम 1963 लाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी आम जन इस बात के लिए दोषी मानते है कि उनके द्वारा उक्त अधिनियम लाये जाने के कारण ही हिन्दी राजभाषा के रूप में पूर्णतः/व्याहारिक रूप से उपयोग नही हो पाई।

पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 ई. से 1964 ई. तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए अनेक प्रकार की राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंतन कर साहसिक निर्णय लिया। ऐसी ही एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या थी – '' स्वतंत्र भारत में हिन्दी को सम्पूर्ण राजभाषा के रूप में अपनाये जाने का विरोध ''। इसका विरोध दक्षिण भारत जो अहिन्दी भाषी प्रदेश थे उनमें उग्र आन्दोलन के रूप में सामने आया। ऐसी स्थिति में आंदोलन को शांत कराने व देश की अखण्डता को बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरूजी ने जो कदम उठाये उसके कारण उन पर यह आक्षेप किया जाता रहा कि – ' नेहरू जी ने हिन्दी को राजभाषा के सम्पूर्ण अधिकार से वंचित करा दिया'। लेकिन इस आक्षेप को सत्यता की कसौटी पर परखने के लिए हमें राजभाषा हिन्दी के इतिहास नेहरू जी की राजनीति भूमिका और तत्कालीन परिस्थितियों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।

हिन्दी संस्कृत उत्तराधिकारिणी है अकबर के शासन काल से पूर्व हमारे देश में राजभाषा के रूप में हिन्दी मिश्रित संस्कृत का उपयोग किया जाता था। अकबर के शासन काल में गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से सरकारी कागजात फारसी में लिखे जाने लगे। फिर ब्रिटिश शासन काल में लार्ड मैकाले ने राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रतिष्ठत किया। तब से उच्च स्तर पर अंग्रेजी और निम्न स्तर पर देशी भाषाएँ प्रयुक्त होती रही। [5]

स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हिन्दी भाषा को ढाल बनाया गया और तत्कालीन अनेक महान हस्तियों जैसे – शिवप्रसाद सितारे हिन्द , राजा लक्ष्मण सिंह, पुरूषोत्तमदास टण्डन , महात्मा गांधी , नेहरू जी, मदन मोहन मालवी, स्वामी दयानन्द सरस्वती , भारतेन्दु हरिश्चन्द्र व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आदि सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र को एक भाषा सूत्र में पिरोना आवश्यक है [5] ताकि अपने विचारों को देश के कोन–कोने में पहुंचया जा सके और सभी का सहयोग प्राप्त हो सके अतः हिन्दी भाषा का प्रचार – प्रसार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनिवार्यता बन गई जिसका समर्थन अनेक विद्वानों ने किया –

महात्मा गांधीजी – '' हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। ''
जवाहरलाल नेहरू – '' हिन्दी स्वयं अपनी ताकत से बढ़ेगी। ''
स्वामीदयानंद सरस्वती –'' हिन्दी द्वारा सारे जगत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। ''
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र – '' निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। ''
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हियको सूल

इस प्रकार सभी बुध्दिजीवियों ने हिन्दी के प्रचार पर सहमति जताई और सहयोग किया। लेकिन इनके समक्ष सर्वाधिक जटिल समस्या यह थी कि दक्षिण भारत में द्रविण भाषा परिवार की भाषाये बोली जाती थी ऐसी स्थिति में आर्य भाषा परिवार की हिन्दी भाषा का वहां प्रचार – प्रसार करना आसान न था।

दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार हेतु सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रयास महात्मा गांधीजी ने किया। इनके प्रयासों से सन् 1918 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय

चेन्नई में बनाया गया। इस प्रकार के प्रयासों से दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार –प्रसार तो हुआ लेकिन अपेक्षित लोकप्रियता नहीं प्राप्त हो सकी।

इस संघर्ष पथ पर चलती हुई हिन्दी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने में नेहारूजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, स्वतंतत्रता के पूर्व चल रहे और लिपि अंदोलन के समय भी नेहरू जी का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट था कि हिन्दुस्तानी की वृद्धि और प्रचार को भारत की दूसरी बड़ी भाषाओं जैसे बगला, गुजारी, मराठी, दक्षिण की द्रविणी के सत्त व्यहार और समृद्धि में हिन्दी बाधक नही बनेगी [1] । और 14 सित. 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया तो उसके भाग 17 में अनुच्छेद 343(1)से अनुच्छेद 351 तक में राजभाषा सम्बंधी प्रावधान किये गये।

अनुच्छेद 343 (1) में उल्लेख था कि संघ की राजभाषा हिन्दी होगी जिसकी लिपि देवनगरी होगी लेकिन इसी अनुच्छेद के दूसरे उपबंध (343(2)) में यह प्रावधान कर दिया कि अगले 15 वर्षों (1965) तक हिन्दी के साथ – साथ जारी रहेगा। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि संविधान लागू होते समय सभी शासकीय कार्यो के लिए अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा था। संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार संसद की यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी 1965 के बाद भी सरकारी कार्य में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। [2]

संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया कि केन्द्र सरकार हिन्दी के विकास के लिए आवश्यक कार्य करते हुए हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने व अंग्रेजी के उपयोग को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी। इसी प्रावधान के तहत सन् 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। [3]

पं. नेहरू सन् 1912 में लंदन से लॉ की पढ़ाई कर भारत लौटे और वकालत प्रारंभ कर दी सन् 1916 में उनका विवाह कमला नेहरू से हो गया और 1920 में गांधी जी के सम्पर्क में आने से उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। [1] इन्हें गांधी जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। भारतीय राजनीति का हिस्सा बनने के बाद उन्होने गांधीजी द्वारा चलाये जा रहे सभी आंदोलनों जैसे 1922 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कई बार जेल भी गये। नेहरू जी ने ही सन् 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी।

अनुच्छेद 343, में किया गया प्रावधान इस विश्वास का परिचायक था कि 15 वर्षो की समयावधि में हिन्दी पूर्णतः राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने में सक्षम हो जायेगी। लेकिन समय ने इसके प्रतिकूल स्वरूप ग्रहण किया। संविधान लागू होने से 15 वर्षो (1965 तक) सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग होने व उसके बाद प्रतिबंधित हो जाने के प्रावधान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरूजी के सामने एक बड़ी चुनौती रखी जो राष्ट्रीय अखण्डता के लिए संकट उत्पन्न कर रही थी।

आजादी के लगभग 13 वर्षो बाद अर्थात 1963 में भाषा के मुद्दे ने देश को सबसे ज्यादा परेशान किया और इसी वजह से अखण्ड भारत के बिखरने का खतरा भी आ खड़ा हुआ। दक्षिण भारत में रहने वाले लोगो को लगता था कि हिन्दी के लागू हो जाने से उनकी स्थिति अन्य भारतीय क्षेत्रों के मुकाबले कमजोर हो जायेगी। और इन लोगो ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में पूर्णतः लागू करने के विरोध में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आन्दोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को दुविधा में डाल दिया कि राजभाषा हिन्दी को उसका पूर्ण अधिकार दिलाया जाए अथवा देश की अखण्डता को बचाया जाए।

अन्ततः तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने देश की अखण्डता को प्राथमिकता देते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित कराया जिसने 1965 के बाद राजभाषा की सहयोगी भाषा के रूप में अंग्रेजी के उपयोग की पाबंदी को खत्म कर दिया। (3) यह साहसिक कदम उठाने के बाद भी दक्षिण भारतीयों के मन में भय व्याप्त था कि इस अधिनियम में कुछ अस्पष्टता है अतः कुछ छात्रों ने आत्मदाह कर लिया। तब तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने राजभाषा अधिनियम 1963 को विस्तारित करते हुए राजभाषा अधिनियम 1967 पारित कराया जिसमें प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में तब तक उपयोग किया जाता रहेगा जब तक गैर हिन्दी भाषी एक भी राज्य इसके समर्थन है।

इस प्रकार नेहरू जी की दूरदर्शिता और उदारता ने एक बार फिर भारत को खण्डित होने से बचा लिया। और मै ऐसे विराट व्यक्तित्व, महामानव, उदारमना पं. जवाहरलाल नेहरूजी को इन पक्तियों के साथ नमन करती हूँ।

तुमने पाया हृदय उदार
जिसने खूब बरसाया प्यार।
तुमने समझा दक्षिण का हाल,
ऐसे सपूत पर देश निहाल।।

संदर्भ

1. 'मेरी कहानी'– जवाहरलाल नेहरू (1988ई) शीर्षक – ''अर्न्तजातीय विवाह और लिपि का प्रश्न'' पृ.क्र. 241 (प्रकाशन–सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली)
2. ''प्रयोजन मूलक हिन्दी के विविध रूप'' राजेन्द्र मिश्र, राकेश शर्मा पृ.क्र. 17 (तक्षशिला प्रकाशन 98 'ए' हिन्दी पार्क, दरियागंज नई दिल्ली)
3. 'हमारा संविधान' सुभाष कश्यय (2015) पृ.क्र. 263 एवं 264 (राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत)
4. 'प्रयोजन मूलक हिन्दी'' – प्रो. (डॉ.) रामछबीला त्रिपाठी एवं डॉ. (श्रीमती) उषा शुक्ला पृ.क्र. 11 से 14 तक (कैलाश पुस्तक सदन भोपाल)
5. हिन्दी भाषा साहित्य का इतिहास और काव्यांग विवेचन – म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल पृ.क्र.– 24